NRO-1-742219894- 18.2-05 002

NRO-1-2453288252.18.

132
25/9/09

<u>न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।</u>

वाद सं0 – 291 / 08–09
संस्कार फाउन्डेशन बनाम उ0प्र0 सरकार।
धारा–143 जे0ए0एल0आर0एक्ट।
ग्राम– औरंगाबाद खालसा, परगना
<u>तहसील व जिला लखनऊ।</u>

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद कार्यवाही संस्कार फाउन्डेशन निबन्धन संख्या 205 पता 2/77, विपुल खण्ड, गोमती नगर लखनऊ द्वारा सचिव अनुराग सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह निवासी 2/77, विपुल खण्ड, गोमती नगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–143 जे0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी खसरा संख्या 1584क रकबा 1.986 हे0 व 1584 ख रकबा 0.101 हे0 स्थित ग्राम औरंगाबाद खालसा का संक्रमणीय भूमिधर हैं। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। प्रार्थी के भूमि के आस–पास की भूमि पर आवासीय विकास भी सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि संख्याओं को सरकार द्वारा अधिग्रहीत भी नही किया गया है। प्रार्थी ने चारो ओर से बाउन्ड्रीवाल करवा रखा है। प्रार्थी संस्था सामाजिक व आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के लोगो के उत्थान हेतु शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन एवं शिक्षार्थियों के आवास हेतु हास्टल आदि का निर्माण आदि का कार्य कराने हेतु उपरोक्त भूमि पर विकास कार्य कर रही है। अन्त मे प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, सदर, लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 22.08.2009 में यह कहा है कि ग्राम औरंगाबाद खालसा की गाटा संख्या 1584क व, 1584ख कुल रकबा 2.087 हे0 प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनी है, एक गोदाम निर्माणाधीन है, कृषि कार्य नही होता है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नहीं है। लखनऊ महानगर योजना 2021 में भूमि का भू–उपयोग आवासीय दर्ज है। नियम 135(6) के अनुसार नियमानुसार शुल्क जमा करा कर निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है। राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 24.09.09 से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आवंटन की नहीं है और न ही प्रश्नगत भूमि किसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। अकृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या सम्प्रेषित है।

Photocopy attested

Chairman/Secretary
Sanskar Foundation

उप जिलाधिकारी
सदर

NRO-1.24532882 52.18.

NRO-1-7422 19894 - 18205003

132
2-5-9-05

वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी की गयी, जो वाद तामील पत्रावली
पर संलग्न है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नही है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या का
विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया और प्रार्थी की मौखिक बहस को विस्तारपूर्वक सुना
गया। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि पर हुये निर्माण का छाया चित्र भी पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया
है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा
है बल्कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है। ऐसी दशा में मौके पर
भूमि का उपयोग गैरकृषिक होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई
विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक
22.08.2009 की पुष्टि की जाती है। ग्राम औरंगाबाद खालसा, परगना तहसील व जिला लखनऊ
की गाटा संख्या 1584क रकबा 1.966 हे0 व 1584ख रकबा 0.101 हे0, को कृषि प्रयोजन से
भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश
की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को
भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 25/9/09 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले
न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी/सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 25/9/09
... तैयार ... 26/9/09
... 26/9/09
... पृष्ठ 13 = 10 रु0
... का नकल: 300 शब्द (प्रतिलिपि)
प्रतिलिपि कर्ता: ...
... कर्ता: ...
दिनांक: 26/9/09

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर, 26/09/09
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।

Sanskar Foundation

Photocopy attested